उत्तर प्रदेश शासन

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2

सं0-91/2015/सी0एम0-73/62-2-2015-2/4(23)/2014

लखनऊ: दिनांक: 11 अगस्त,2015

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-2319/62-2-2013-2/4(56)/2012, दिनांक 30-7-2013 द्वारा श्री मुरारी यादव, अवर अभियंता, लघु सिंचाई मुख्यालय, चंदौली को अपने पद के साथ-साथ लघु सिचाई जनपद चंदौली एवं लघु सिंचाई जनपद वाराणसी के सहायक अभियंता का अतिरिक्त कार्यभार नितान्त अस्थाई एवं कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत् द्वैत प्रभार के रूप में दिया गया था।

2- सम्यक विचारोपरांत श्री मुरारी यादव, अवर अभियंता, लघु सिंचाई मुख्यालय, चंदौली को दिये गये लघु सिंचाई जनपद वाराणसी के अतिरिक्त् प्रभार संबंधी आदेश को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। सहायक अभियंता, लघु सिंचाई जनपद चंदौली का दिया गया प्रभार यथावत बना रहेगा।

ह0/

राम किंकर मिश्र,

संयुक्त सचिव।

सं0-91/2015/सी0एम0-73 (1)/62-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/ कोषाधिकारी।

4- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड।

5- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in